राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर

क्रमांकः F/FA&CAO/RWSSMB/Mission/2020-21/ 1290-1307 दिनांक 21/5/2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न विषम परिस्थिति मे राहत प्रदान किये जाने के दृष्टिगत् राज्य के समस्त उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों के भुगतान में राहत प्रदान करते हुये माह अप्रेल एवं मई, 2021 के जल उपभोग बिलों का भुगतान वर्तमान में स्थगित किया जाता है। इन दो माह के जल उपभोग का भुगतान उपभोक्ताओं से माह जुलाई एवं अगस्त, 2021 में जारी होने वाले बिलों से लिया जावेगा।

इसके साथ–साथ यह भी निर्णय लिया जाता है कि माह अप्रेल, मई तथा जून, 2021 में जल उपभोग के विरूद्ध बकाया राशि तय समय में जमा नही होने की स्थिति में किसी भी उपभोक्ता का जल संबंध विच्छेद नहीं किया जावे।

माह अप्रेल एवं मई, 2021 के जल उपभोग के विरूद्ध जारी होने वाले बिलों को वर्तमान में स्थगित करते हुये समस्त अघरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं से इन दोनों माह के जल उपभोग की राशि को माह जुलाई, 2021 में जारी होने वाले बिलों की राशि में समाहित किया जावेगा। समस्त घरेलू उपभोक्ताओं से उक्त दो माह के उपभोग की राशि को माह जुलाई/अगस्त, 2021 (द्विमासिक आधार पर जारी बिल के माह चक्र अनुसार) में जारी किये जाने वाले बिलों की राशि में समाहित किया जावेगा।

Sudhansh Pant

(सुधांश पंत)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांकः F/FA&CAO/RWSSMB/Mission/2020-21/ 1290-1307 दिनांक 21/5/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. तकनीकी सदस्य/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू/तकनीकी/प्रशासन/ग्रामीण/विशेष परियोजना/ प्रोजेक्ट जोधपुर/पीएमयू नागौर) को प्रेषित कर निर्देश है कि अपने स्तर से समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को उपरोक्त आदेशों की प्रति अग्रेषित कर पालना सुनिश्चित करावें।
8. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

Sudhansh Pant

अतिरिक्त मुख्य सचिव
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग